E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2019; 1(2): 56-59
Received: 20-05-2019
Accepted: 24-06-2019

भरत कुमार
शोधार्थी, स्नात्तकोत्तर, राजनीति विज्ञान, ल. ना. मि. विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
भरत कुमार
शोधार्थी, स्नात्तकोत्तर, राजनीति विज्ञान, ल. ना. मि. विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, भारत

गुट निरपेक्ष आन्दोलन का भविष्य में उपयोगिता

भरत कुमार

सारांश
द्वितीय विश्वयुद्धोत्तर आर्थिक स्थितियों पर नजर डाले तो यह स्पष्ट होता है कि संतुलित विकास और संतुलित सम्पन्नता के लिए मानव मात्र को अनावश्यक गरीबी, निर्धनता व मजबूरी और बेबसी से उबारने के लिये एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को स्वीकार करना आवश्यक है। इन राष्ट्रों ने निरंतर नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग की। आंदोलन ने जुलाई 1962 में आयोजित आर्थिक विकास की समस्याओं पर सम्मेलन में पहली बार आर्थिक विकास का उल्लेख किया था। काहिरा सम्मेलन में मुख्य बल सहायता और सुधार व्यापार सम्बन्धों पर दिया गया। लुसाका शिखर सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष देशों ने आर्थिक एवं विकास सम्बन्धी मामलों पर विकसित या औद्योगिक देशों के साथ सामान्य पहल का संकल्प लिया। अल्जीरियर्स शिखर सम्मेलन में प्रस्ताव किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव से कहा जाये की उच्च राजनीति के स्तर पर महासभा का अधिवेशन बुलाया जाये जिसमें केवल विकास समस्याओं पर ही विचार विनिमय किया जाये। अल्जीरियर्स का आह्वाहन अनसूना नहीं किया गया। असल में तो गुटनिरपेक्ष देशों की इसी पहल के फलस्वरूप ही 1974 के आरंभ में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 6वां विशेष अधिवेशन बुलाया जिसमें 1 मई 1974 को नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की घोषणा व एक कार्यवाही योजना का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया। नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आज की प्रमुख मांग है जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने ही निरंतर परवान चढ़ाया है अतः यह भी इस आंदोलन की एक बड़ी उपलब्धि है।

मुख्य शब्दः गुटनिरपेक्ष, आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था

प्रस्तावना
विश्व व्यवस्था के अनेक अभिकरण ऐसे हैं, जिनके निर्णय निर्माण में विकासशील देशों की पर्याप्त भूमिका नहीं हैं, अतः विश्व की विभिन्न संस्थाओं में विकासशील देशों को अधिक प्रभावी प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता है। इस संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आतंकबाद के प्रत्येक स्वरूप को समाप्त करने तथा उस संबंध में राष्ट्रों द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन करने का निर्णय भी लिया गया। सम्मेलन में दृढ़ निश्चय किया गया कि विश्व की विभिन्न संस्कृतियों तथा धार्मिक समूहों के मध्य निरंतर आदान–प्रदान की जरूरत हैं, जिससे उनके मध्य गतिरोध को समाप्त किया जा सके। प्रत्येक देश की संस्कृति और अन्य विभिन्नताओं का सम्मान किया जाना चाहिए। विश्व पर एक प्रकार के सांस्कृतिक प्रतिमान अथवा सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था थोपे जाने के सभी प्रयासों का विरोध किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव का संबंध अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभुत्व के विरूद्ध गुटनिरपेक्ष देशों के विरोध से है।

गुट निरपेक्ष आन्दोलन – उद्भव एवं विकास
मानव जीवन का राष्ट्रों के जीवन में अपने हितों की सुरक्षा एवं सम्वर्धन, सत्ता तथा प्रतिष्ठा के लिये संघर्ष चलता रहता है। परंतु मानव जीवन में व राष्ट्रों की दुनिया में यह भी स्वीकार किया गया है कि हम सबको अन्तर्राष्ट्रीय विकास में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिये क्योंकि कोई भी अकेला देश विश्व का विकास नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही बड़ा व शक्तिशाली क्यों न हो। ऐसी स्थिति में विकास और एक विश्व की अवधारणा को सफल बनाने के लिये राष्ट्रों के मध्यसदभाव, सहयोग, शान्ति व अहिंसा का आचरण भी आवश्यक है। बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध ने स्वीकार किया है कि '' संनतनो न ही वेरन वरामि सम्मनती उदाचनंण''। ''अवेरेन च सम्मनित एस घम्मो'' अर्थात् इस संसार में बेर बेर से शांत नहीं होता अबैर से ही बैर शांत होता है यही सनातन धर्म है। यही नियम है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते है कि यह सनातन सत्य है कि शत्रुता से शत्रुता समाप्त नहीं होती। क्रोध से क्रोध समाप्त नहीं होता। बैर से बैर नही मिटता। हिंसा से हिंसा नहीं मिटती और जितना बैर बढ़ता जाता है उतना ही हम अपने चारों तरफ अपने हाथों ही नरक निर्मित करते चले जाते हैं और चूंकि हम इस जगत में रहते है और जैसा हम करते है

वैसा ही यह जगत बन जाता है। इसलिये यह स्वीकृत किया गया है कि यह सृष्टि हमारी ही कृति है और चारो तरफ हम अपना ही परिवेश बनाते है। अतः अपने बोध से यह जो इशारा किया गया है यदि यह दिखाई पड़ जायें या समझ में आ जाये तो फिर कोई दुख नहीं दे सकता। फिर हमारा स्वभाव सुखी हो जायेगा। अतः संदेश है कि फैलाब मैत्री, फैलाव सदभाव, फैलाव प्रेम, फैलाव शान्ति अहिंसा।' भगवान महावीर ने भी अहिंसा परमोधर्म' का संदेश दिया और यह स्वीकार किया कि मेरी मित्रता सबसे है सारे विश्व से है और मेरा बैर किसी से नहीं है। मेरी किसी से शत्रुता नहीं है। वास्तव में यदि राष्ट्रों के जीवन को ठीक से देखने कि कला आ जाते तो फिर दुखों से निपटारा पाया जा सकता है। और सद्भाव, सहिष्णुता, और शांति हमारे राष्ट्रीय जीवन के आधार हो सकते है। हमारे उपनिषदों ने भी शांति का संदेश दिया है और हमारे ज्ञान की जो परंपरा रही है उसमें भी वसुधैव कुटुम्बकम के आदर्श को स्वीकारा गया है। हमारे जो भी महान शासक रहे है उन्होंने ने भी सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया है न्याय का अनुसरण किया है और अहिंसा को प्राथमिकता दी है। आचार्य चाणक्य ने भी स्वीकार किया है कि मुख्य रूप से राज्य के दो ही आधार हो सकते है शांति व अहिंसा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जब हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी दी गई तब गांधी जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि वे हिंसा के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने यह स्वीकार किया कि वे महान देश भक्त थे तथा अपने देश के प्रति उनमें निष्ठा व उत्साह का भाव था। परंतु हम वह रास्ता नहीं अपना सकते क्योंकि हिंसा से भाई – भाई के विरूद्ध हो जायेगा और हम अपने उद्देश्य से विचलित हो जायेंगे और चूंकि भारत विभिन्नताओं वाला देश है इसलिये उन्होंने सहिष्णुता एवं भाईचारे की बात कहीं जो अहिंसा पर आधारित थी। तथा समयानुसार वे ब्रिटिश साम्राज्य के विरूद्ध एक शक्तिशाली हथियार सिद्ध हुई। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन भी मुख्य रूप से उदारवादी विचारधारा में विश्वास रखता था। और उस पृष्ठभूमि में स्वतंत्रता के लिये जो संघर्ष किया गया उस पृष्ठभूमि में भी उक्त मूल्य सम्मिलित थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी इन्हीं मूल्यों के सहारे उपनिवेशवाद के विरूद्ध लड़ी व शोषण का विरोध किया तथा स्वतंत्रता का उद्घोष किया। नेहरू जी ने निरंतर यह स्वीकार किया कि जहां तक संभव होगा हम शक्ति की राजनीति से अलग रहेंगे, जो हमे एक दूसरे के सामने खड़ा कर देती है। जिसने पिछले समय में संसार को युद्ध दिये है और आज भी बड़े विनाशकारी युद्धों को जन्म देने के लिए आगे बढ़ रहे है। वास्तव में उनका विचार एक विश्व की कल्पना को साकार करना था। किसी गुट से बंध जाने से ऐसा करना संभव नहीं था। वे सब तरह से एक खुशहाल दुनिया चाहते थे। साम्राज्यवाद से भारत की मुक्ति के बाद ऐसी दुनिया में पड़े दूसरे नवोदित राष्ट्रों ने भी अपने को भारत जैसी स्थिति में पाया। अतः वह भी अपनी आजादी व स्वतंत्र विदेश नीति के लिये एक दूसरे के निकट आने लगे। और सकारात्मक सहयोग व प्रयासों को बढ़ावा दिया जाने लगा। नेहरू जी के बाद श्रीमति इन्दिरा गांधी ने यही स्वीकार किया कि Non Alignment does not mean neutrality because we preserve our freedom to jugde each international issue on its merit अर्थात् असंलग्नता से हमारा अभिप्राय तटस्थता नहीं है क्योंकि हर अर्न्तराष्ट्रीय मुद्दे को उसके गुण–दोष के आधार पर परखने व अपना व्यवहार तय करने के लिये हम स्वतंत्र है। अफ्रीकी राष्ट्रों का भी यही हाल हुआ। तथा लैटिन अमेरिकी देशों ने अमेरिकी नीति का विरोध किया। सभी जगह जो मूल कारण था वह अफ्रीका, लेटिन अमेरिका, एशिया इन देशों पर वर्चस्व प्रधानता की नीति का विरोध करना था क्योंकि वह हमारे लिये कष्टकारी था।

धीरे–धीरे हमारी यह विदेश नीति रफ्तार पकड़ने लगीं 1947 से इसके मंतव्य साफ दिखाई देने लगे। 1954 के आते आते हिन्द–चीन की समस्या ने गंभीर रूप धारण कर लिया। अतः दिसम्बर 1954 में बोगोर में भारत, इन्डोनेशिया, पाकिस्तान, बर्मा, सीलोन में प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन हुआ वहां यह तय हुआ कि एशिया व अफ्रीका के देशों का एक विशाल सम्मेलन बुलाया जाये तथा 1955 में बाडुंग सम्मेलन हुआ जिसमें अनेक देशों ने भाग लिया भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, वर्मा, अफगानिस्तान, कम्बोडिया, घाना, मिश्र, ईरान, इराक, लाओस,जार्डन, लेबनान लाइबेरिया, फिलीपिन्स, सउदी अरब, सूडान, सीरीया, थाइलैण्ड तुर्की, उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम तथा यमन आदि देशों नें इसमे भाग लिया। मुस्लिम देशों के आग्रह को देखते हुये इसमें इजरायल को आमंत्रित नहीं किया गया। यह अपने प्रकार का पहला बड़ा सम्मेलन था जिसने दुनिया की आधी से ज्यादा संख्या का प्रतिनिधित्व किया इसमें साम्यवादी चीन की उपस्थिति अपना विशेष महत्व लिये थी। अपने स्वागत् भाषण में राष्ट्रपति सुकर्णो ने कहा कि 'मै आशा करता हूँ कि यह सम्मेलन इस तत्व का साक्ष्य होगा कि एशिया व अफ्रीका का पुनर्जन्म हो गया, शायद नये एशिया व नये अफ्रीका का जन्म हुआ है इस सम्मेलन में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर सविस्तार चर्चा हुई। जैसे –

1. आर्थिक सहयोग – जिसमें परमाणु ऊर्जा से शान्तिपूर्ण सहयोग का बिन्दु समाहित था।
2. सांस्कृतिक सहयोग
3. मानवाधिकार तथा राष्ट्रीय आत्म निर्णय जिसमें फिलीस्तीन की स्वतंत्रता व जाति भेदभाव की नीति की निंदा जैसे मुद्दे निहित थे।
4. पराधीन लोगों की समस्या जिसमें टयूनिशिया, अल्जिरिया व मोरक्कों के प्रकरण समाहित थे।
5. विश्व शांति व सहयोग को प्रोत्साहन, जिसमें हथियारों तथा निःशस्त्रीकरण के मुद्दे समाहित थे। इस सम्मेलन में जिन बिन्दुओं पर सहमति व्यक्त की गई वे साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का खण्डन, जातीय भेदभाव की निंदा, निःशस्त्रीकरण अर्न्तराष्ट्रीय विवादों का शान्तिपूर्ण तरीकों से समाधान तथा संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन आदि थे। यह कह सकते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्धोपरांत एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिकी तथा दुनिया के दूसरे देशों में शीत युद्ध अपने चरम पर पहुँच गया तो अपनी आजादी, स्वतंत्रता तथा राष्ट्रीय हितों की रक्षार्थ इस दिशा में बढ़ना आवश्यक हो गया था। इस दृष्टि से गुटनिरपेक्ष देशों ने विश्व शांति व सुरक्षा के आधार तैयार करने में और मुहिम को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

गुटनिरपेक्षता का भविष्य – प्रासंगिकता

गुटनिरपेक्षता विश्व राजनीति में राष्ट्रों के लिए एक नए विकल्प के रूप में निश्चय ही स्थायी रूप धारण कर चुकी है। इसने विशेषतः राष्ट्र समाज के छोटे–छोटे और अपेक्षाकृत कमजोर सदस्यों के सन्दर्भ में, राष्ट्रों की स्वतंत्रता और समता बनाए रखने में योग दिया है। इसने विश्व के पूर्ण ध्रुवीकरण को रोकर विचारधारा शिविरों के विस्तार और प्रभाव को संयत करके तथा गुटों के अंदर भी स्वतंत्रता की शक्तियों को प्रोत्साहन देकर अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने तथा उसे बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योग दिया है। इसने संयुक्त राष्ट्र संगठन के भीतर और बाहर दोनों जगह बहुत से कल्याणकारी क्षेत्रों में, जैसे कि उपनिवेशों को स्वतंत्र कराने, प्रजातीय समता को साकार करने तथा अल्प–विकसित देशों के आर्थिक विकास के क्षेत्र में बहुत बड़ा योग दिया है।

आज संयुक्त राष्ट्र संघ के दो–तिहाई राष्ट्र गुटनिरपेक्षता के दायरे में आ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न मंचों से गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने विश्व–शांति, उपनिवेशवाद के अन्त, परमाणु अस्त्रों पर

रोक, निःशस्त्रीकरण, हिन्दमहासागर को शांति क्षेत्र घोषित करना, नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्माण, आदि विषयों पर संगठित रूप से कार्यवाही की है और सफलता हासिल की है।

यह भी प्रश्न किया जाता है कि आज गुटनिरपेक्षता का क्या औचित्य रह गया है। गुटनिरपेक्षता की सार्थकता द्वितीय विश्व–युद्ध के बाद शीत–युद्ध के वातावरण में तो थी किन्तु पिछले 15–20 वर्षो में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। मसलन शीत–युद्ध का अन्त हो चुका है, सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद को कब्र में दफनाया जा चुका है, वारसा पैक्ट भंग कर दिया गया है, नाटो की भूमिका में परिवर्तन आ रहा है, जर्मनी का एकीकरण हो चुका है। गुटनिरपेक्ष का उदय शीत–युद्ध के सन्दर्भ में हुआ था और आज शीत–युद्ध के अन्त हो जाने के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अप्रासंगिक कहा जा रहा है। निर्गुट आंदोलन के 8 वें सम्मेलन में जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में लीबिया के नेता कर्नल गद्दाफी ने निर्गुट आंदोलन को 'अन्तर्राष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आंदोलन (A funny movement of international fallacy) कहा और पूछा था कि जब अमरीका ने उनके देश पर हवाई हमला करके उन्हें सपरिवार जान से मार देने की कोशिश की तो निर्गुट आंदोलन क्या कर रहा था? क्या इसके बाद भी इसकी कोई प्रासंगिकता रह जाती है?

फरवरी 1992 में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की बैठक में मिस्त्र ने स्पष्ट तौर से अपील की थी कि इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, उनका तर्क था कि सोवियत संघ के विघटन, सोवियत गुट तथा शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। किन्तु बहुसंख्यक विदेश मंत्रियों ने इस विचार का विरोध किया था। उनका कहना था कि बड़ी संख्या में गुटनिरपेक्ष देश अभी निर्धन हैं या आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और समृद्ध राष्ट्रों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा उनका नव–औपनिवेशिक देशों के बीच सार्थक वार्ता के लिए दबाव डाला जाए और विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग सुदृढ़ एवं सक्रिय किया जाए। इसके लिए निर्गुट आंदोलन एक अपरिहार्य मंच का काम करेगा।

आज 'संयुक्त राष्ट्र संघ' को केन्द्र बनाकर 'नाम (NAM) महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। निःशस्त्रीकरण के क्षेत्र में गुटनिरपेक्ष आंदोलन विश्व की पुकार की भूमिका निभा सकता है और इसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि महाशक्तियां तीसरी दुनिया के देशों में घातक हथियारों का जमावड़ा न करें।

1993 में आंदोलन का सदस्य बनने के लिए प्राप्त नए आवेदनों से यह सुस्पष्ट है कि सार्वभौम कार्यो में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की निरंतर प्रासंगिकता बनी है और महत्त्व भी बढ़ा है।

ऐसा कहा गया है कि 21वीं शताब्दी आर्थिक युद्ध की होगी। आर्थिक दृष्टि से समृद्ध राष्ट्रों के गुट उभरकर स्वयं ही प्रतिस्पर्द्धा कर लेंगे और इससे विकासशील राष्ट्रों की स्वतंत्रता और हितों को खतरा पहुँचेगा। इस खतरे को नियंत्रित करने के लिए उत्तर–दक्षिण संवाद को बनाए रखने में दक्षिण–दक्षिण सहयोग और नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन और जी–77 को एक होकर कार्य करना होगा।

आज निम्नलिखित क्षेत्रों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता नजर आती हैः

1. नई अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की पुरजोर मांग करना
2. आणविक निःशस्त्रीकरण के लिए दबाव डालना
3. दक्षिण–दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन देना
4. एक–ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अमरीकी दादागिरी का विरोध करना
5. विकसित और विकासशील (उत्तर–दक्षिण संवाद) देशों के बीच सार्थक वार्ता के लिए दबाव डालना
6. अच्छी वित्तीय स्थिति वाले गुटनिरपेक्ष देशों (जैसे ओपेक राष्ट्रों) को इस बात के लिए तैयार करना कि वे अपना अधिशेष पश्चिमी देशों की बैंकों में जमा करने के बजाय विकासशील देशों में विकासात्मक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करें
7. नव औपनिवेशिक शोषण का विरोध किया जाए
8. संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन के लिए दबाव डाला जाए ताकि बड़े राष्ट्र प्रस्तावित पुनर्गठन के लिए राजी हो सकें यानी उनके 'वीटो परिषद् की सदस्यता में पर्याप्त बढ़ोत्तरी की जा सके या महासभा को और अधिकार दिए जा सकें।

संक्षेप में, विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने की दिशा में यदि कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अस्तित्व अधिक समय तक नहीं रह पाएगा, विशेषकर ऐसे में जबकि शीत–युद्ध की समाप्ति के बाद इसके सामने कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं रह गया है।

1. गुट–निरपेक्ष राष्ट्रों का सिद्धांतहीन होना– आलोचकों की मान्यता है कि गुट–निरपेक्षता एक अवसरवादी और काम निकालने की नीति होकर रह गयी है, क्योंकि गुट–निरपेक्ष देश सिद्धांतहीन है, साम्यवादी और गैर–साम्यवादी गुटों के साथ अपने सम्बन्धों के सन्दर्भ में वे 'दोहरी कसौटी' का प्रयोग करते हैं और यह कि उनका ध्येय पश्चिमी और साम्यवादी दोनो गुटों से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का और जिसका पलड़ा भारी हो, उसकी ओर मिल जाने का रहता है।

   प्रो. एम. एस. राजन ने इस आलोचना का उत्तर देते हुए कहा है कि गुट–निरपेक्षता की नीति अवसरवादिता की नीति हो सकती है परंतु उतनी ही जितनी गुटबद्धता की अथवा कोई अन्य नीति हो सकती है, उससे अधिक नहीं।'
2. सैद्धांतिक परंतु अव्यावहारिक– कुछ आलोचकों का कहना है कि गुट–निरपेक्षता की नीति सिद्धांत रूप में चाहे कितनी ही ठीक क्यों न हो परंतु व्यवहार में यह ठीक नहीं है और अनेक अवसरों पर असफल भी हुई है। जहाँ सिद्धांत रूप में गुट–निरपेक्षता का उद्देश्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है व्यवहार में गुट–निरपेक्षता ने साम्यवाद के प्रति सहानुभूति को छिपाने के लिए नकाब का कार्य किया है और इसका परिणाम यह हुआ है कि साम्यवादी गुट की अप्रत्यक्ष अधीनता (जैसे–एन्क्रूमा के नेतृत्व में घाना, बर्मा, क्यूबा)। आलोचक यह भी कहते हैं कि नासिर के अधीन संयुक्त अरब गणराज्य और पं0 नेहरू के अधीन भारत 1950 के दशक में साम्यवादी खेल खेलते रहे हैं। पश्चिमी देशों की इन आलोचनाओं का उत्तर देते हुए डॉ. एम. एस. राजन ने कहा है कि, ''अभी तक किसी गुट–निरपेक्ष राष्ट्र का विलय साम्यवादी गुट में नहीं हुआ है। दूसरी ओर एक साम्यवादी राष्ट्र (यूगोस्लाविया) साम्यवादी गुट का साथ छोड़कर गुट–निरपेक्ष बन गया। जहाँ कुछ मामलों में कुछ गुट–निरपेक्ष राष्ट्रों ने साम्यवादी शिखर के देशों का समर्थन किया, वहीं चेकोस्लोवाकिया (1968) के मामले में अनेक गुट–निरपेक्ष राष्ट्रों ने सोवियत संघ (साम्यवाद) की आलोचना की थी।''
3. बाह्य आर्थिक और रक्षा सहायता पर निर्भरता– गुट–निरपेक्ष आंदोलन की एक कमजोरी यह है कि ये देश अपनी आर्थिक और रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य देशों पर निर्भर हैं। आलोचकों का मत है कि सच्ची गुट–निरपेक्षता का आधार आर्थिक निर्भरता है। यदि कोई राष्ट्र किसी तरह की सहायता के लिए अन्य देशों पर निर्भर है तो इसका तात्पर्य यह है कि उस राष्ट्र की स्वतंत्रता और गुट–निरपेक्षता को भी दाँव पर लगा दिया है। भारत के सन्दर्भ में यह विचार कभी–कभी सुनने को मिल जाते हैं कि

भारत की नीतियाँ विश्व बैंक के निर्देश पर बनती है।

4. गुट–निरपेक्षता की नीति और सुरक्षा के साधन में कोई सम्बन्ध नहीं– कुछ आलोचकों का मत है कि गुट–निरपेक्ष राष्ट्र गुट–निरपेक्षता को अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त मानते हैं परंतु यदि वे कोई बाह्य सैनिक सहायता लेते हैं तो गुट–निरपेक्षता का स्वरूप नष्ट हो जायेगा, जैसे–अक्टूबर, 1962 में भारत पर चीन के आक्रमण के समय विदेशों से सहायता लेने पर यह अर्थ लगाया गया कि गुट–निरपेक्षता की नीति असफल हो गयी। परंतु राष्ट्र की सुरक्षा पहले है इसलिए सैनिक सहायता लेने से गुट–निरपेक्षता का स्वरूप नष्ट नहीं हो जाता है। यही कारण है कि चीन के आक्रमण के समय भारत को अमरीका और सोवियत संघ दोनों ही परस्पर विरोधी गुटों ने सहायता दी।
5. संकुचित नीति– कुछ आलोचकों का मत है कि विदेश नीति का क्षेत्र इतना विशाल है कि उसे गुट–निरपेक्षता की नीति में सीमित नहीं किया जा सकता। गुट–निरपेक्षता का दायरा बहुत सीमित है। गुटो से बाहर अपने आपको क्रियाशील बनाये रखने पर विचार नहीं किया जाता। सारी नीति गुटों के आस–पास घूमती है। महाशक्ति गुटों की राजनीति पर प्रतिक्रिया करते रहना ही इस नीति का मुख्य लक्ष्य बन जाता है।
6. शक्ति संतुलन सिद्धांत अपरिवर्तनीय– कुछ आलोचकों का मत है कि विश्व में शक्ति संतुलन सिद्धांत रहा है उसे बदलने में गुट–निरपेक्षता का सिद्धांत असफल रहा है। भारत के विरोध के बाद भी अमरीकी फौजों ने कोरिया में प्रवेश किया चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया, लेबनान में अमरीकी फौंजे तथा हंगरी और चेकोस्लोवाकिया मे सोवियत फौंजों ने प्रवेश किया, अरब–इलराज में चार युद्ध हुए, परंतु गुट–निरपेक्ष देश मूकदर्शक की तरह देखते रहे।
7. गुट–निरपेक्षता एक विभाजित आंदोलन–इसकी आलोचना इस तर्क के आधार पर की जाती है यह और देशों की संगठित करने के स्थान पर स्वयं ही विभाजित है। 1979 के हवाना सम्मेलन में यह तीन भागों में विभाजित हुआ। एक भाग में क्यूबा, अफगानिस्तान, वियतनाम, इथियोपिया, दक्षिण यमन जैसे सोवियत संघ समर्थित देश थे, दूसरे भाग में सोमालिया, सिंगापुर, फिलिपीन्स, मोरक्को, मिस्त्र जैसे अमरीका समर्थित देश थे और तीसरे भाग में भारत, यूगोस्लाविया और श्रीलंका जैसे तटस्थ देश थे। आलोचकों का मत है कि यह विभाजन यह सिद्ध करता है कि गुट–निरपेक्ष आंदोलन एक दिशाहीन आंदोलन है और महाशक्तियों के हाथों की कठपुतली के समान है।
8. गुट–निरपेक्षता का अलोकतांत्रिक होना– कुछ आलोचक कहते है कि गुट–निरपेक्ष आंदोलन लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना करता है। इस आंदोलन में भारत और श्रीलंका जैसे लोकतांत्रिक देश हैं तो साथ में नेपाल, मोरक्को, इथियोपिया जैसे राजशाही देश भी है साथ में वियतनाम, क्यूबा जैसे साम्यवादी देश है तो सैनिक सत्ताधारी म्यांमार, घाना, युगाण्डा जैसे देश भी है। इसके सदस्य देशों में से 10 देश भी ऐसे नहीं है जो सच्चे अर्थो में लोकतांत्रिक कहला सकें। इसमें सम्मिलित देशों की शासन पद्धति के साथ–साथ अर्थव्यवस्था भी भिन्न–भिन्न है।
9. ठोस योजना का अभाव–आलोचकों का यह भी मत है कि गुट–निरपेक्ष राष्ट्रों में मौलिक एकता का अभाव है। समृद्ध राष्ट्रों के शोषण के विरूद्ध मोर्चाबन्दी करना तो दूर रहा वे परस्पर एक–दूसरे की सहायता करने की भी ठोस योजना नहीं बना सके। इन राष्ट्रों की अपनी कोई ऐसी स्वतंत्र एवं ठोस कार्य पद्धति नहीं है, जो इन्हें विदेशी शोषण और आक्रमण से बचा सके।
10. समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था– वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बहुत परिवर्तन हुए हैं; जैसे शीतयुद्ध का अन्त, जर्मनी का एकीकरण, वारसा संधि का समाप्त होना, सोवियत संघ का बिखराव, अनेक नये राष्ट्र का उदय आदि इन सभी परिवर्तनों के आधार पर आलोचकों ने यह कहना प्रारंभ कर दिया है कि 'नाम' का मुख्य कार्य विश्व को गुटों के विभाजन से मुक्त करना था और यह विभाजन प्रायः समापन की ओर अग्रसर है। इसलिए 'नाम' निरर्थक हो गया है। उनका कहना है कि या तो नाम को सामप्त करना पड़ेगा अथवा किसी नवीन आंदोलन में परिवर्तित करना पड़ेगा।

निष्कर्ष

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने निरंतर मानवीय मुल्यों का समर्थन दिया है और उन मानवीय मूल्यों के आधार पर साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, युद्ध, शोषण, असमानता आदि के विरूद्ध एक वैचारिक भूमिका तैयार की। जो विश्व शांति की एक बुनियादी आवश्यकता है। इस प्रकार से विश्व शांति को अक्षुण्ण बनाये रखने में इस आंदोलन की प्रमुख भूमिका रही।

संदर्भ

1. नेहरू जवाहर लाल 'इण्डियाज फॉरेन पॉलिसी, सलेक्टेड स्पीचीज' सित0 1949–1961 नइ दिल्ली, 1961, पृष्ठ संख्या 24
2. यादव आर एस, भारत की विदेश नीति, 'पीयर्सन दिल्ली, पृष्ठ संख्या 18।
3. जॉर्ज श्वजर बर्जन, पावर पॉलिसी, ए स्टडी ऑफ इन्टरनेशनल सोसायटी, न्यूयार्क 1951
4. जवाहर लाल नेहरू पूर्वोक्त पृष्ठ संख्या 33
5. द न्यूयार्क टाईम्स, 18 अक्टूबर 1989, पृष्ठ संख्या 18
6. के जी नज, टाक्स विद नेहरू, पृष्ठ संख्या 46–47
7. जवाहर लाल नेहरू, पूर्वोक्त पृष्ठ संख्या 48
8. वही पृष्ठ संख्या 77–85
9. देवेन्द्र कौशिक 'द पीस जोन कन्सेप्टद्ध इटस रिलेवेन्स टू ए सिस्टम रिजनल कापरेशन एण्ड सिक्योंरिटी इन एशिया', पॉलिटिक्ल साइन्स रिव्यू, वॉल्यूम 25 अंक 3व 4, जुलाई से दिसम्बर 1986